अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016,

सं0 13/2016- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी)

सा.का.नि. (अ) -- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय (तीसरा संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये 1 अप्रैल, 2016 से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में,--

(क) खंड (क) के उपखंड (अ) में,--

(i) मद (i) में, "शीर्ष 6804" शब्द और अंकों के स्थान पर "शीर्ष 6804 और उपशीर्ष 860692 के वैगन" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) शर्त (1) में, "किन्तु इसमें किसी कार्यालय में प्रयुक्त होने वाला कोई उपस्कर या साधित्र सम्मिलित नहीं है" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(iii) शर्त (1क) में, "विद्युत का उत्पादन" शब्दों के पश्चात् "या जल को पम्प करने के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (ड) में, प्रविष्टि (3) के पश्चात्, बृहत पंक्ति के स्थान पर निम्लिखित 1 मार्च, 2016 से रखा जाएगा, अर्थात्:--

"किन्तु निम्नलिखित सेवा को सम्मिलित नहीं किया जाएगा-

(क) जिसका सेवा कर नियम, 1994 के नियम 6क के निबंधनानुसार निर्यात किया गया है; या

(ख) भारत में सीमाशुल्क निकासी स्थल से भारत के बाहर स्थान को किसी यान द्वारा माल के परिवहन के माध्यम से;";

(ग) खंड (ट) में,-

(i) उपखंड (iii) में, "या वाष्प" शब्दों के पश्चात् "या जल को पम्प करने के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपखंड (iv) में, "निर्गत सेवा" शब्दों के स्थान पर "निर्गत सेवा; या" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) इस प्रकार संशोधित उपखंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(v) सभी पूंजी माल, जिनका मूल्य प्रतिनग दस हजार रुपए तक है ।";

(iv) मद (इ) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(इ) पूंजी माल, सिवाय तब के जब,--

(i) जब उनका उपयोग किसी अंतिम उत्पाद के विनिर्माण में भागों या संघटकों के रूप में किया जाता है ; या

(ii) ऐसे पूंजी माल का मूल्य प्रतिनग दस हजार रुपए तक है ;";

(घ) खंड (ड) में, "उत्पादक या प्रदाता" शब्दों के पश्चात् "या कोई आउटसोर्स की गई विनिर्माण इकाई" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

3. उक्त नियमों के नियम 3 के उपनियम (4) में,--

(i) पांचवे परंतुक में "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ के पहली अनुसूची क्रमश: टैरिफ मद 8517 12 10 और 8517 12 90 के अधीन आने वाले मालों पर उक्त राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क" शब्दों और अंकों के स्थान पर,"वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 के अधीन उदग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क" शब्द, अंक और कोष्ठक 1 मार्च, 2016 से रखे जाएंगे ।

(ii) आठवें परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित 1 मार्च, 2016 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,--

"परंतु यह भी कि केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय का उपयोग वित्त विधेयक, 2016 के खंड 159 के उपखंड (1) के अधीन उदग्रहणीय अवसंरचना उपकर के संदाय के लिए नहीं किया जाएगा:"।

4. उक्त नियम के नियम (4) में,--

(क) उपनियम (2) के खंड (क) में स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित 1 मार्च, 2016 से रखा जाएगा, अर्थात्:--

"स्पष्टीकरण-शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि -

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय शीर्ष 7113 के अधीन आने वाले रजत आभूषण की वस्तुओं से भिन्न, किन्तु हीरा, रूबी, पन्ना या नीलम जडित रजत आभूषण की वस्तुऐं सम्मिलित हैं, आभूषण की वस्तुओं के विनिमार्ण में लगा कोई निर्धारिती पात्र होगा, यदि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से संगणित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में घरेलू उपभोग के लिए सभी उत्पाद शुल्क्य माल की निकासी का उसका कुल मूल्य बारह करोड़ रुपए से अधिक नहीं था :

(ii) उपरोक्त (क) से भिन्न कोई निर्धारिती तभी पात्र होगा, यदि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से संगणित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में घरेलू उपभोग के लिए सभी उत्पाद शुल्क्य माल की निकासी का उसका कुल मूल्य चार सौ लाख रुपए से अधिक नहीं था ।"।

(ख) उपनियम (5) के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ख) उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 82 के अन्तर्गत आने वाले जिगों, फिक्सचरों, सांचों और डाइयों या उपकरणों के संबंध में अंतिम उत्पादों के विनिर्माता को भी उस समय केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय अनुज्ञात किया जाएगा, जब उन्हें उसके विनिर्देशों के अनुसार ऐसे विनिर्माता द्वारा निम्नलिखित को भेजा जाता है,--

(i) मालों के उत्पादन के लिए अन्य विनिर्माता को; या

(ii) उसके विनिर्देशों के अनुसार, उसकी ओर से मालों के उत्पादन के लिए किसी फुटकर कर्मकार को :

परन्तु ऐसा प्रत्यय उस समय भी अनुज्ञात किया जाएगा, जब उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 82 के अन्तर्गत आने वाले जिगों, फिक्सचरों, सांचों और डाइयों या उपकरणों को अंतिम उत्पादों के विनिर्माता द्वारा, उन्हें अपने स्वयं के परिसरों में लाए बिना किसी अन्य विनिर्माता या फुटकर कर्मकार के परिसरों में भेजा जाता है ।";

(ग) उपनियम (6) में, "किसी वित्तीय वर्ष के लिए विधिमान्य" शब्दों के स्थान पर, "तीन वित्तीय वर्षों के लिए विधिमान्य" शब्द रखे जाएंगे ।

(घ) उपनियम (7) के पांचवे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"परंतु यह भी की सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के अधिकार के समनुदेशन द्वारा उपबंधित सेवा के लिए संदत्त या संदेय प्रभार संदत्त सेवाकर का केन्द्रीय मूल्य वर्धित प्रत्यय सेवा कर ऐसी अवधि तक विस्तारित होगा जितना वह अवधि जिसके लिए उपयोग का अधिकार समनुदेशित किया गया है । वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय मूल्य वर्धित प्रत्यय जिसमें उपयोग का अधिकार अर्जित किया है और पश्चातवर्ती वर्षों में जिसके दौरान ऐसा अधिकार यथास्थिति माल के विनिर्माता या आगत सेवा के प्रदाता द्वारा पदधारित किया गया है, रकम का अवधारण निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाएगा :

केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय की रकम जो उस वित्तीय वर्ष में लिया गया है = उपयोग के अधिकार के समनुदेशन के लिए संदेय प्रभार पर संदत्त सेवा कर/वर्षों की संख्या जिसके लिए अधिकार समनुदेशित किए गए हैं ।

परंतु यह भी कि जहां, यथास्थिति, माल का विनिर्माता या उत्पाद सेवा का प्रदाता किसी वित्तीय वर्ष में सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसको समनुदेशित उपयोग का ऐसा अधिकार प्रतिफल पर किसी अन्य व्यक्ति को आगे समनुदेशित

करता है तो अतिशेष केन्द्रीय मूल्य वर्धित प्रत्यय की ऐसी रकम जो ऐसे आगे समनुदेशन के लिए उसके द्वारा प्रभारित प्रतिफल पर संदेय सेवा कर से अधिक नहीं है, उसी वित्तीय वर्ष में अनुज्ञात की जाएगी :

परंतु यह भी की प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के अधिकार के समनुदेशन द्वारा किसी सेवा की बाबत संदेय वार्षिक या मासिक उपयोक्ता प्रभार का केन्द्रीय मूल्य वर्धित प्रत्यय उसी वित्तीय वर्ष में अनुज्ञात किया जाएगा जिसमें वे संदत्त हैं ।";

5. उक्त नियमों के नियम 6 में,--

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) सेनवेट प्रत्यय निवेश की ऐसी मात्रा पर अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जिसका उपयोग छूट प्राप्त मालों के विनिर्माण या उनके विनिर्माण के संबंध में किया जाता है या जिनका उपयोग छूट प्राप्त सेवाओं या निवेश सेवा के उपबंध के लिए किया जाता है, जिनका उपयोग छूट प्राप्त मालों के विनिर्माण में या उनके विनिर्माण के संबंध में और हटाए जाने के स्थान तक उनकी निकासी के लिए या छूट प्राप्त सेवाओं के उपबंध के लिए किया जाता है और इस प्रकार अनुज्ञात न किए गए प्रत्यय की संगणना की जाएगी और उसका संदाय यथास्थिति, उपनियम (2) या उपनियम (3) के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार विनिर्माता या निर्गत सेवा के प्रदाता द्वारा किया जाएगा :

परन्तु केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 12कक में निर्दिष्ट किसी फुटकर कर्मकार को निवेशों पर केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय देने से इस आधार पर इंकार नहीं किया जाएगा कि उक्त निवेशों का उपयोग उस नियम के उपबंधों के अधीन शुल्क का संदाय किए बिना निकासी किए गए मालों के विनिर्माण में किया गया है ।

स्पष्टीकरण 1–इस नियम के प्रयोजनों के लिए, नियम 2 के खंड (घ) और खंड (ज) में यथा परिभाषित छूट प्राप्त मालों या अंतिम उत्पादों में किसी कारखाने से प्रतिफल के लिए निकासी किए गए गैर-शुल्क्य माल सम्मिलित होंगे ।

स्पष्टीकरण 2–इस नियम के प्रयोजनों के लिए गैर-शुल्कय मालों का मूल्य, उसका बीजक मूल्य होगा और जहां ऐसा बीजक मूल्य उपलब्ध नहीं हैं, वहां ऐसे

मूल्य का अवधारण उत्पाद-शुल्क अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट मुल्यांकन के सिद्धान्तों से संगत युक्तियुक्त उपायों का उपयोग करते हुए किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 3- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, नियम 2 के खंड (ड़) में यथापरिभाषित छूट प्राप्त सेवाओं में ऐसा क्रियाकलाप को सम्मिलित किया जाएगा जो वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65ख (44) में यथा परिभाषित 'सेवा' नहीं है ।

स्पष्टीकरण 4- स्पष्टीकरण 3 में यथाउपरोक्त विनिर्दिष्ट ऐसे क्रियाकलाप का मूल्य बीजक/करार/संविदा मूल्य होगा और जहां ऐसा मूल्य उपलब्ध नहीं है वहां ऐसे मूल्य का अवधारण वित्त अधिनियम, 1994 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट मूल्यांकन के सिद्धांतो से संगत युक्तियुक्त उपाय करके किया जाएगा ।";

(ख) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(2) ऐसा कोई विनिर्माता, जो अनन्य रूप से छूट प्राप्त मालों का, हटाए जाने के स्थान तक उनकी निकासी के लिए विनिर्माण करता है या ऐसा कोई सेवा प्रदाता, जो अनन्य रूप से छूट प्राप्त सेवाएं उपलब्ध कराता है, निवेशों और निवेश सेवाओं के प्रत्यय की पूर्ण रकम का संदाय करेगा और वह वस्तुतः किन्हीं निवेशों और निवेश सेवाओं के प्रत्यय के लिए पात्र नहीं होगा ।";

(ग) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(3)(क) कोई विनिर्माता, जो मालों के दो वर्गों का विनिर्माण करता है, अर्थात् :--

(i) हटाए गए गैर-छूट प्राप्त माल ;

(ii) हटाए गए छूट प्राप्त माल ;

या

(ख) निर्गत सेवा का कोई प्रदाता, जो सेवाओं के दो वर्गों का उपबंध करता है, अर्थात् :--

(i) गैर-छूट प्राप्त सेवाएं ;

(ii) छूट प्राप्त सेवाएं,

उसे लागू निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का अनुपालन करेगा, अर्थात् :--

(i) उस अवधि की, जिससे संदाय संबंध रखता है, समाप्ति पर निर्धारिती के खाते में उपलब्ध अधिकतम कुल प्रत्यय के अधीन रहते हुए, छूट प्राप्त मालों के मूल्य के छह प्रतिशत और छूट प्राप्त सेवाओं के मूल्य के सात प्रतिशत के बराबर रकम का संदाय करेगा ; या

(ii) ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो उपनियम (3क) के अधीन अवधारित की गई है:

परन्तु यदि छूट प्राप्त मालों पर किसी उत्पाद-शुल्क का संदाय किया जाता है तो उसे खंड (i) के अधीन संदेय रकम में से घटा दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि किसी कराधेय सेवा के मूल्य के किसी भाग को इस शर्त पर छूट प्रदान की गई है कि ऐसी कराधेय सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त निवेशों और निवेश सेवाओं का कोई केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नहीं लिया जाएगा, तब खंड (i) में विनिर्दिष्ट रकम, इस प्रकार छूट प्राप्त मूल्य का सात प्रतिशत होगी :

परन्तु यह भी कि रेल द्वारा मालों या यात्रियों के परिवहन की दशा में, खंड (i) के अधीन संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित रकम छूट प्राप्त सेवाओं के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर होगी ।

स्पष्टीकरण 1–यदि मालों का विनिर्माता या निर्गत सेवा का प्रदाता, इस उपनियम के अधीन किसी विकल्प का फायदा उठाता है तो वह यथास्थिति, उसके द्वारा विनिर्मित सभी छूट प्राप्त मालों या उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी छूट प्राप्त सेवाओं के लिए ऐसे विकल्प का प्रयोग करेगा और ऐसे विकल्प को वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान वापस नहीं लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2–ऐसे मालों और सेवाओं पर, जो निवेश या निवेश सेवाएं नहीं हैं, संदत्त किसी शुल्क या कर पर कोई केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नहीं लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 3–इस उपनियम और उपनियम (3क) के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "हटाए गए गैर-छूट प्राप्त माल" से ऐसे अंतिम उत्पाद अभिप्रेत हैं जिनमें विनिर्मित और हटाए जाने के स्थान तक निकासी किए गए छूट प्राप्त माल सम्मिलित नहीं हैं;

(ख) "हटाए गए छूट प्राप्त माल" से विनिर्मित और हटाए जाने के स्थान तक निकासी किए गए छूट प्राप्त माल अभिप्रेत हैं;

(ग) "गैर-छूट प्राप्त सेवा" से ऐसी निर्गत सेवाएं अभिप्रेत हैं, जिनमें छूट प्राप्त सेवाएं सम्मिलित नहीं है ।"

(घ) उपनियम (3क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(3क) उपनियम (3) के खंड (ii) के अधीन संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित रकम का अवधारण करने के लिए, मालों का विनिर्माता या निर्गत सेवा का प्रदाता निम्नलिखित प्रक्रिया और शर्तों का पालन करेगा, अर्थात् :--

(क) मालों का विनिर्माता या निर्गत सेवा का प्रदाता, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक को निम्नलिखित विशिष्टियां बताते हुए लिखित में सूचित करेगा, अर्थात् :--

(i) मालों के विनिर्माता या निर्गत सेवा के प्रदाता का नाम, पता और रजिस्ट्रीकरण संख्या;

(ii) वह तारीख, जिससे इस खंड के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया है या प्रयोग किए जाने का प्रस्ताव है;

(iii) हटाए गए छूट प्राप्त मालों के विनिर्माण या छूट प्राप्त सेवाओं के उपबंध के संबंध में या उनके लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त निवेशों और निवेश सेवाओं का वर्णन और इस प्रकार हटाए गए छूट प्राप्त मालों और उपलब्ध कराई गई ऐसी छूट प्राप्त सेवाओं का वर्णन;

(iv) हटाए गए गैर-छूट प्राप्त मालों के विनिर्माण या गैर-छूट प्राप्त सेवाओं के उपबंध के संबंध में या उनके लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त निवेशों और निवेश सेवाओँ का वर्णन और इस प्रकार हटाए गए गैर-छूट प्राप्त मालों और उपलब्ध कराई गई ऐसी गैर-छूट प्राप्त सेवाओं का वर्णन;

(v) इस शर्त के अधीन विकल्प का प्रयोग करने की तारीख को अतिशेष निवेशों और निवेश सेवाओँ का केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय ;

(ख) अंतिम उत्पादों का विनिर्माता या निर्गत सेवा का प्रदाता, मास के दौरान निवेशों और ली गई निवेश सेवाओं के इस कुल प्रत्यय में से संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्यय का अवधारण करेगा, जिसे टी के रूप में अंकित किया जाएगा और उनका संदाय निम्नलिखित आनुक्रमिक प्रक्रमों में किया जाएगा और वह उपखंड (i) और उपखंड (iv) के अधीन अवधारित रकमों का प्रत्येक मास अनंतिम रूप से संदाय करेगा, अर्थात् :--

(i) हटाए गए छूट प्राप्त मालों के विनिर्माण या छूट प्राप्त सेवाओँ के उपबंध में या उसके संबंध में अनन्य रूप से प्रयुक्त निवेशों और निवेश सेवाओं के कारण मिलने वाले केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय की रकम को अपात्र प्रत्यय कहा जाएगा, जिसे ए के रूप में अंकित किया जाएगा और उसका संदाय किया जाएगा;

(ii) हटाए गए गैर-छूट प्राप्त मालों के विनिर्माण या गैर-छूट प्राप्त सेवाओँ के उपबंध में या उसके संबंध में अनन्य रूप से प्रयुक्त निवेशों और निवेश सेवाओं के कारण मिलने वाले केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय की रकम को पात्र प्रत्यय कहा जाएगा, जिसे बी के रूप में अंकित किया जाएगा और उसका संदाय अपेक्षित नहीं होगा;

(iii) उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अधीन प्रत्यय के आरोपण के पश्चात् शेष बचे प्रत्यय को सामान्य प्रत्यय कहा जाएगा, जिसे सी के रूप में अंकित किया जाएगा और उसकी संगणना निम्नानुसार होगी–

सी=टी-(ए+बी);

स्पष्टीकरण–जहां उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अधीन संपूर्ण प्रत्यय का आरोपण किया गया समझा गया है अर्थात् अपात्र प्रत्यय या पात्र प्रत्यय, वहां आगे और आरोपण हेतु कोई सामान्य प्रत्यय शेष नहीं रहेगा ।

(iv) हटाए गए छूट प्राप्त मालों या छूट प्राप्त सेवाओं के उपबंध के कारण प्राप्त सामान्य प्रत्यय की रकम को अपात्र सामान्य प्रत्यय कहा जाएगा, जिसे डी के रूप में अंकित किया जाएगा और उसकी संगणना निम्नानुसार होगी तथा उसका संदाय किया जाएगा–

डी=(इ/एफ)xसी;

जहां इ पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित का कुल योग है–

(क) उपलब्ध कराई गई छूट प्राप्त सेवाओं का मूल्य ; और

(ख) हटाए गए छूट प्राप्त मालों का मूल्य ;

जहां एफ पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित का कुल योग है–

(क) उपलब्ध कराई गई गैर-छूट प्राप्त सेवाओं का मूल्य ;

(ख) उपलब्ध कराई गई छूट प्राप्त सेवाओं का मूल्य ;

(ग) हटाए गए गैर-छूट प्राप्त मालों का मूल्य ;

(घ) हटाए गए छूट प्राप्त मालों का मूल्य :

परन्तु जहां पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई अंतिम उत्पाद विनिर्मित नहीं किया गया था या कोई निर्गत सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई थी, वहां अपात्र सामान्य प्रत्यय के कारण मिलने वाले केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय को सामान्य प्रत्यय के पचास प्रतिशत के रूप में माना जाएगा;

(v) शेष सामान्य प्रत्यय को पात्र सामान्य प्रत्यय कहा जाएगा और उसे जी के रूप में अंकित किया जाएगा, जहां,--

जी=सी-डी;

स्पष्टीकरण–शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि कुल प्रत्यय टी, जो ए, बी, डी और जी का कुल योग है, में से विनिर्माता या निर्गत सेवा का प्रदाता बी और जी के प्रत्यय, अर्थात् पात्र प्रत्यय और पात्र सामान्य प्रत्यय का अंनतिम रूप से आरोपण करने और उसे धारित करने में समर्थ होगा और ए तथा डी के प्रत्यय, अर्थात् अपात्र प्रत्यय और अपात्र सामान्य प्रत्यय की रकम का अंनतिम रूप से संदाय करेगा ।

(vi) जहां विनिर्माता या निर्गत सेवा का प्रदाता उपखंड (i) या उपखंड (iv) के अधीन अवधारित रकम का संदाय करने में असफल रहता है, वहां वह नियत तारीख से ऐसे रकम के संदाय की तारीख तक उस पर पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ;

(ग) विनिर्माता या निर्गत सेवा का प्रदाता, पूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान दिए गए कुल प्रत्यय, जो टी (वार्षिक) रूप में अंकित है, में से पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए हटाए गए छूट प्राप्त मालों और छूट प्राप्त सेवाओं के उपबंध के कारण मिलने वाले केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय की रकम का अवधारण निम्नलिखित रीति में करेगा, अर्थात् :--

(i) वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से प्रयुक्त निवेशों और निवेश सेवाओँ के आधार पर हटाए गए छूट प्राप्त मालों के विनिर्माण या छूट प्राप्त सेवाओँ के उपबंध में या उनके संबंध में अनन्य रूप से प्रयुक्त निवेशों और निवेश सेवाओँ के कारण मिलने वाले केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय को वार्षिक अपात्र प्रत्यय कहा जाएगा और उसे ए (वार्षिक) के रूप में अंकित किया जाएगा ;

(ii) वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से प्रयुक्त निवेशों और निवेश सेवाओँ के आधार पर हटाए गए गैर-छूट प्राप्त मालों के विनिर्माण या गैर-छूट प्राप्त सेवाओँ के उपबंध में या उनके संबंध में अनन्य रूप से प्रयुक्त निवेशों और निवेश सेवाओँ के कारण मिलने वाले केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय को वार्षिक पात्र प्रत्यय कहा जाएगा और उसे बी (वार्षिक) के रूप में अंकित किया जाएगा ;

(iii) आगे और आरोपण के लिए शेष बचे सामान्य प्रत्यय को सी (वार्षिक) के रूप में अंकित किया जाएगा और उसे निम्नानुसार संगणित किया जाएगा,--

सी(वार्षिक)=टी(वार्षिक)-[ए(वार्षिक)+बी(वार्षिक)];

(iv) हटाए गए छूट प्राप्त मालों या छूट प्राप्त सेवाओं के उपबंध के मद्दे मिलने वाले सामान्य प्रत्यय को वार्षिक अपात्र सामान्य प्रत्यय कहा जाएगा और उसे डी (वार्षिक) के रूप में अंकित किया जाएगा और उसे निम्नानुसार संगणित किया जाएगा,--

डी (वार्षिक)=(एच/आई)xसी(वार्षिक);

जहां एच वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित का कुल योग है--

(क) उपलब्ध कराई गई छूट प्राप्त सेवाओं का मूल्य ; और

(ख) हटाए गए छूट प्राप्त मालों का मूल्य ;

जहां आई पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित का कुल योग है–

(क) उपलब्ध कराई गई गैर-छूट प्राप्त सेवाओं का मूल्य ;

(ख) उपलब्ध कराई गई छूट प्राप्त सेवाओं का मूल्य ;

(ग) हटाए गए गैर-छूट प्राप्त मालों का मूल्य ;

(घ) हटाए गए छूट प्राप्त मालों का मूल्य ;

(घ) विनिर्माता या निर्गत सेवा का प्रदाता उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष की तीस जून को या उससे पूर्व वार्षिक अपात्र प्रत्यय और वार्षिक अपात्र सामान्य प्रत्यय की रकम के योग और पूर्ण वर्ष की अवधि के लिए अपात्र प्रत्यय और अपात्र सामान्य प्रत्यय की कुल रकम के बीच के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा, अर्थात् [{ए(वार्षिक)+डी(वार्षिक)}-{(ए+डी) पूर्ण वर्ष के लिए सकल योग}], जहां पूर्वतर दो रकमें पश्चात्वर्ती रकम से अधिक हैं;

(ङ) जहां खंड (घ) के अधीन रकम का संदाय उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष की तीस जून तक नहीं किया जाता है, वहां मालों का विनिर्माता या निर्गत सेवा का प्रदाता, खंड (घ) के अधीन इस प्रकार संदत्त की जानी वाली प्रत्यय की रकम के अतिरिक्त, उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष की तीस जून से ऐसी रकम के संदाय की तारीख तक पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की रकम का संदाय करने के लिए दायी होगा ;

(च) विनिर्माता या निर्गत सेवा का प्रदाता, वित्तीय वर्ष के अन्त पर, पूर्ण वर्ष के दौरान संदत्त अपात्र प्रत्यय और अपात्र सामान्य प्रत्यय की कुल रकम और वार्षिक अपात्र प्रत्यय तथा वार्षिक अपात्र सामान्य प्रत्यय की कुल रकम के बीच के अन्तर के बराबर रकम का प्रत्यय लेगा, अर्थात् [{(ए+डी) पूर्ण वर्ष के लिए योग}-{(ए(वार्षिक)+डी(वार्षिक)}], जहां पूर्वतर दो रकमें पश्चात्वर्ती रकम से अधिक हैं;

(छ) मालों का विनिर्माता या निर्गत सेवा का प्रदाता, खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) के उपबंधों के अनुसार संदाय या समायोजन की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर निम्नलिखित विशिष्टियों की संसूचना अधिकारितागत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक को देगा,--

(i) पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए, खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित पात्र प्रत्यय, अपात्र प्रत्यय, पात्र सामान्य प्रत्यय और अपात्र सामान्य प्रत्यय के मद्दे मिलने वाले प्रत्यय के मासवार ब्यौरे;

(ii) पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए, खंड (ग) के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित पात्र प्रत्यय, अपात्र प्रत्यय, पात्र सामान्य प्रत्यय और अपात्र सामान्य प्रत्यय के मद्दे वार्षिक रूप से मिलने वाला केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय ;

(iii) खंड (ग) के उपबंधों के अनुसार अवधारित और संदत्त रकम, यदि कोई हो, रकम के संदाय की तारीख के साथ;

(iv) खंड (ङ) के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित, संदेय और संदत्त ब्याज की रकम, यदि कोई हो ; और

(v) खंड (च) के उपबंधों के अनुसार प्रत्यय लेने की तारीख के साथ अवधारित और लिया गया प्रत्यय, यदि कोई हो, ।"

(ङ) उपनियम (3क) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(3कक) जहां कोई विनिर्माता या निर्गत सेवा का प्रदाता, उपनियम (3) के अधीन विकल्प का प्रयोग करने और उपनियम (3क) के अधीन उपबंधित प्रक्रिया का पालन करने में असफल रहा है, वहां अन्तर्वलित केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय की रकम के आधार पर किसी मामले का न्यायनिर्णयन करने के लिए सक्षम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, ऐसे विनिर्माता या निर्गत सेवा के प्रदाता को प्रक्रिया का पालन करने और उपनियम (3) के खंड (ii) में निर्दिष्ट रकम का संदाय करने के लिए कह सकेगा, जिसकी संगणना उपनियम (3क) के खंड (ग) के निबंधनानुसार यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित प्रत्येक मास के लिए की जाएगी और साथ ही उस पर रकम के संदाय की अंतिम तारीख से उसके संदाय की तारीख तक प्रत्येक मास के लिए पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक दर से संगणित ब्याज का भी संदाय किया जाएगा ।

(3कख) ऐसा कोई निर्धारिती, जिसने वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपनियम (3) के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन किसी रकम का संदाय करने का विकल्प लिया है, उक्त वित्तीय वर्ष के लिए उपनियम (3क) के खंड (ग), खंड़ (घ), खंड (ङ), खंड (च), खंड (छ), खंड (ज) या खंड (ञ) के निबंधनों के अनुसार, जैसे कि वे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को लागू हैं, उस रकम का ब्याज के साथ संदाय करेगा या प्रत्यय लेगा और इस प्रयोजन के लिए इन उपबंधों को 30 जून, 2016 तक विद्यमान समझा जाएगा ।";

(च) उपनियम (3ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(3ख) उपनियम (1), (2) और (3) में दिए गए विकल्पों के अलावा, निक्षेप, ऋण या अग्रिम को बढ़ा कर सेवा उपलब्ध कराने में लगी कोई बैंककारी कंपनी और वित्तीय संस्था जिसके अंतर्गत गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी है, को उस मास में निर्गत और निर्गत सेवाओं पर फायदा उठाए

गए केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय के पचास प्रतिशत समान रकम प्रत्येक मास देने का विकल्प होगा ।";

(छ) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(4) ऐसे अंतिम उत्पादों या निर्गत सेवाओं से, जिन्हें किसी अधिसूचना के अधीन उनपर उदग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है और जहां ऐसी छूट की गई निकासी के मूल्य या मात्रा या उपलब्ध कराई गई सेवाओं के मूल्य के आधार पर मंजूर की गई है, भिन्न छूट प्राप्त मालों के विनिर्माण में या छूट प्राप्त सेवाओं को उपलब्ध कराने में अनन्य रूप से प्रयुक्त होने वाले पूंजी मालों पर, यथास्थिति, वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ होने या सेवाओ का उपबंध करने वाले तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए कोई केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परन्तु जहां पूंजी मालों को, यथास्थिति, वाणिज्यिक उत्पादन या सेवाओं का उपबंध के प्रारंभ होने के तारीख के पश्चात् प्राप्त किया जाता है, वहां दो वर्ष की अवधि की संगणना ऐसे पूंजी मालों के प्रतिष्ठापन की तारीख से की जाएगी ।"।

(ज) नियम 6 के उपनियम (7) में, "जब किसी सेवा का निर्यात किया जाता है" शब्दों के पश्चात् "या जब कोई सेवा उसको किसी जलयान द्वारा भारत में किसी स्थान से भारत से बाहर किसी स्थान को मालों के परिवहन के द्वारा प्रदान की जाती है या उपलब्ध कराने के लिए सहमति दी जाती है" शब्द 1 मार्च, 2016 से अंत:स्थापित किए जाएंगे :--

6. उक्त नियमों के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"7. निवेश सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति–निवेश सेवा का वितरक, स्पष्टीकरण 4 में यथा परिभाषित, अपनी विनिर्माता इकाइयों या निर्गत सेवा उपलब्ध कराने वाली इकाई या आउटसोर्स की गई विनिर्माता इकाइयों को, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, निवेश सेवा पर संदत्त सेवा कर के संबंध में केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय का वितरण करेगा, अर्थात् :--

(क) नियम 9 में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज के प्रति वितरित प्रत्यय की रकम, उस पर संदत्त सेवा कर की रकम से अधिक न हो;

(ख) किसी विशिष्ट इकाई को, निवेश सेवा के रूप में मिलने वाले सेवा कर के प्रत्यय का वितरण केवल उसी इकाई को किया जाएगा ;

(ग) एक से अधिक इकाइयों को मिलने वाले, किन्तु सभी इकाइयों को न मिलने वाले निवेश सेवा के रूप में सेवा कर के प्रत्यय का वितरण केवल ऐसी इकाइयों के बीच किया जाएगा, जिनके कारण निवेश सेवा प्रदान की गई है और ऐसा वितरण सुसंगत अवधि के दौरान ऐसी इकाइयों की आवर्त के, ऐसी सभी इकाइयों की कुल आवर्त के अनुपात में किया जाएगा, जिनके कारण ऐसी निवेश सेवा प्रदान की गई है और जो उक्त सुसंगत अवधि के दौरान चालू वर्ष में कार्यकरण कर रही थी ;

(घ) सभी इकाइयों को निवेश सेवा के रूप में मिलने वाले सेवा कर के प्रत्यय का वितरण सभी इकाइयों को, सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे इकाइयों की आवर्त के, सभी इकाईयों की कुल आवर्त से अनुपात के आधार पर किया जाएगा, जो उक्त सुसंगत अवधि के दौरान चालू वर्ष में कार्यकरण कर रही थी ;

(ङ) आउटसोर्स की गई विनिर्माण इकाई, निवेश सेवा वितरकों में से प्रत्येक से प्राप्त निवेश सेवा प्रत्यय के लिए पृथक् लेखा रखेगा और उसका उपयोग वह केवल संबंधित निवेश सेवा वितरक के लिए विनिर्मित मालों पर शुल्क के संदाय के लिए करेगा ;

(च) 31 मार्च, 2016 को निवेश सेवा वितरक के पास उपलब्ध निवेश सेवा पर संदत्त सेवा कर का प्रत्यय, किसी आउटसोर्स की गई विनिर्माण इकाई को अंतरित नहीं किया जाएगा और ऐसे प्रत्यय का वितरण, आउटसोर्स की गई विनिर्माण इकाइयों को अपवर्जित करते हुए इकाइयों के बीच किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण–इस खंड के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् मालों का उत्पादन आरंभ करने वाले आउटसोर्स किसी विनिर्माता लागू होंगे ;

(छ) नियम 6 के उपबंध मालों का विनिर्माण करने वाली इकाइयों या निर्गत सेवा प्रदाता को लागू होंगे और वे निवेश सेवा वितरक को लागू नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण 1–इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "इकाई" के अन्तर्गत निर्गत सेवा प्रदाता के परिसर या किसी विनिर्माता के परिसर, जिसके अन्तर्गत कोई कारखाना भी है, चाहे वे रजिस्ट्रीकृत या अन्यथा हों या किसी आउटसोर्स की गई विनिर्माण इकाई के परिसर भी हैं ।

स्पष्टीकरण 2–इस नियम के प्रयोजनों के लिए, कुल आवर्त का अवधारण उसी रीति में किया जाएगा जैसा कि नियम 5 के अधीन अवधारण किया जाता है :

परन्तु किसी आउटसोर्स की गई विनिर्माण इकाई की आवर्त, किसी निवेश सेवा वितरक के लिए आउटसोर्स की गई ऐसी इकाई द्वारा विनिर्मित मालों की आवर्त होगी ।

स्पष्टीकरण 3–इस नियम के प्रयोजनों के लिए, 'सुसंगत अवधि' निम्नानुसार होगी,--

(क) यदि निर्धारिती की ऐसे वर्ष से जिसके दौरान, यथास्थिति, किसी मास या तिमाही के लिए प्रत्यय का वितरण किया जाना है, पूर्ववर्ती 'वित्तीय वर्ष' में कोई आवर्त है तो उक्त वित्तीय वर्ष ; या

(ख) यदि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निर्धारिती की कुछ या सभी इकाइयों के लिए कोई आवर्त नहीं है तो वह अंतिम तिमाही, जिसके लिए सभी इकाइयों के आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध हैं, जो उस मास या तिमाही से पूर्ववर्ती है, जिसके लिए प्रत्यय का वितरण किया जाना है ।

स्पष्टीकरण 4–इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "आउटसोर्स की गई विनिर्माण इकाई" से कोई ऐसा फुटकर कर्मकार अभिप्रेत है, जो किसी निवेश सेवा वितरक के लिए विनिर्मित मालों पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क मुल्यांकन (उत्पाद-शुल्क्य मालों की कीमत का अवधारण) नियम, 2000

के नियम 10क के अधीन अवधारित मूल्य पर शुल्क का संदाय करने के लिए दायी है या कोई ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है, जो किसी संविदा के अधीन निवेश सेवा वितरक के लिए मालों का विनिर्माण करता है, जो ऐसे निवेश सेवा वितरक के ब्रांड नाम को धारण करते हैं और जो उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 4क के अधीन अवधारित मूल्य पर शुल्क का संदाय करने के लिए दायी है ।"।

7. उक्त नियम के नियम 7क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"7ख. विनिर्माता के भांडागार द्वारा निवेशों पर प्रत्यय का वितरण–(1) ऐसे किसी विनिर्माता को, जिसके पास एक या अधिक कारखाने हैं, उक्त विनिर्माता के किसी भांडागार द्वारा जारी किसी बीजक के अधीन प्राप्त निवेशों पर प्रत्यय प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जो ऐसे निवेशों के क्रय के मद्दे केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार जारी बीजकों के कवर के अधीन निवेश प्राप्त करता है ।

(2) इन नियमों के उपबंध या किसी प्रथम प्रक्रम के व्यौहारी या किसी द्वितीय प्रक्रम के व्यौहारी को यथा लागू उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी अन्य नियम के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, विनिर्माता के ऐसे भांडागार को लागू होंगे ।"।

8. उक्त नियमों के नियम 9 के खंड (क) के उपखंड (i) में "निकासी के लिए किसी विनिर्माता" शब्दों के स्थान पर "निकासी के लिए किसी विनिर्माता या किसी सेवा प्रदाता" शब्द रखे जाएंगे ।

9. उक्त नियम के नियम 9क के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"9क. वार्षिक विवरणी–(1) अंतिम उत्पादों का कोई विनिर्माता या निर्गत सेवाओं का कोई प्रदाता, उत्तरवर्ती वर्ष के 30 नवम्बर तक, बोर्ड द्वारा किसी अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक वार्षिक विवरणी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक को प्रस्तुत करेगा ।

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 12 के उपबंध, जहां तक उनका संबंध वार्षिक विवरणी से है, इस नियम के अधीन फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित वार्षिक विवरणी को, यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ।"।

10. उक्त नियमों के नियम 14 के उपनियम (2) का लोप किया जाएगा ।

(फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 600(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा अधिसूचना सं. 23/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 02/2016-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 3 फरवरी, 2016 द्वारा, जो सा.का.नि. 142(अ), तारीख 3 फरवरी, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, अंतिम संशोधन किए गए ।